भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3122
06.12.2019 को उत्तर के लिए
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क

3122. श्री पल्लब लोचन दासः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के वन्यजीवों के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) काजीरंगा को शिकारियों से मुक्त रखना सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार काजीरंगा को एक इको-पर्यटन संकुल बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही बाघ परियोजना की केंद्र-प्रायोजित स्कीम के दायरे में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2008 में लाया गया, जिससे तकनीकी मार्गदर्शन/सहयोग के अलावा वर्धित वित्तीय सहयोग प्रदान करने में मदद मिली है, जिसमें निम्नलिखित कार्य-कलापों हेतु सहायता प्रदान की जाती है:

i. अवैध शिकार-रोधी/गश्ती शिविरों का निर्माण करना।
ii. वायरलेस नेटवर्क को और सुदृढ़ करना।
iii. वाहनों के सहयोग के अलावा मोटर नौकाएं/देशी नौकाएं उपलब्ध कराना।
iv. फ्रंटलाइन स्टॉफ को शस्त्र/गोला बारूद उपलब्ध कराने के साथ-साथ फील्ड गियर प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना।
v. कैमरा ट्रैपों/ट्रान्सेक्टों का प्रयोग करके वन्यजीवों की तकनीकी ढंग से निगरानी करने की दिशा में क्षेत्र कार्मिकों की क्षमता में वृद्धि करना।
vi. निगरानी/आसूचना के एकत्रीकरण/अन्वेषण हेतु क्षेत्र कार्मिकों का क्षमता निर्माण करना।
vii. संवेदनशील क्षेत्रों में 24x7 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र स्थापित करना।
viii. दिन-प्रतिदिन की क्षेत्र सुरक्षा में स्थानीय लोगों को तैनात करने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
ix. गैंडा/वन्यजीवों के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु बाघ रिज़र्व के परिधीय बफर क्षेत्र में पारिस्थितिकीय विकास के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना।
x. बाढ़ के मौसम के दौरान विशेष सुरक्षोपायों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्च भूमि का निर्माण और अनुरक्षण शामिल है, के लिए सहयोग प्रदान करना।
xi. विशेष बाघ संरक्षण बल की तर्ज पर विशेष गैंडा संरक्षण बल (एसआरपीएफ) स्थापित करना, उसे सशस्त्र और तैनात करना।

इसके अलावा, वर्ष 2015 में काजीरंगा बाघ रिज़र्व में संरक्षण के प्रयासों को सुदृढ़ करने हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से एक गैंडा कार्य-बल का गठन किया गया था, जिसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही बाघ परियोजना की केंद्र-प्रायोजित स्कीम के तहत, काजीरंगा बाघ रिज़र्व, असम को प्रदत्त वित्तीय सहायता निम्नवत् है:-

2016-17	-	622.94 लाख रूपए
2017-18	-	1462.25 लाख रूपए
2018-19	-	1030.25 लाख रूपए
2019-20 (2.12.2019 की तारीख तक)	-	1290.03 लाख रूपए

(ग) और (घ) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, काजीरंगा बाघ रिजर्व के इलाकों में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन कार्यकलापों तथा बाघ परियोजना हेतु विनियामक मानक) दिशा-निर्देश, 2012 के अनुसार पर्यटन गतिविधियां आरंभ की जा रही हैं।

****